



2026:AHC-LKO:20815

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1877 / 2026

शैलेंद्र सिंह

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: आनंद दुबे, अमित त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विकास मौर्य

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास मौर्य, घायल के विद्वान अधिवक्ता; जिन्होंने वकालतनामा दायर किया है जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) पर लिया गया है, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।
2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार यह आरोप है कि दिनांक 26.12.2025 को सूचना देने वाले उप निरीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि अनुज शुक्ला और सूर्य प्रताप सिंह व अन्य लोग भूमि के किसी झगड़े को लेकर लड़ रहे हैं। वे धारूपुर गांव पहुंचे तथा पाया कि अभियुक्तगण मारपीट में शामिल हैं और वे दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। घायल उपेंद्र शुक्ला की चिकित्सकीय जांच की गई और एक्स-रे रिपोर्ट के मुताबिक, बाएं हाथ के अगले हिस्से में बाल जैसा अस्थि-भंग (फ्रैक्चर) देखा गया। यह कहा गया है कि आवेदक समेत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य तथा एक जैसे आरोप हैं। आवेदक ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 25 में एक मामले का आपराधिक इतिहास बताया है।

उन्होंने आगे बताया कि दो सह-अभियुक्त शाहिल सरोज और शशांक सरोज को दिनांक 11.3.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत दे दी गई है, जो आज दाखिल किए गए अनुपूरक शपथ-पत्र के अनुलग्नक संख्या एसए-2 के तौर पर दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है। आवेदक दिनांक 27.12.2025 से कारागार में है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक के जमानत पर रिहा होने के बाद, भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य कि आवेदक ने आपराधिक इतिहास बताया है, सह-अभियुक्त का जमानत आदेश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट का सामान्य आरोप लगाया गया है तथा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, आवेदक जिस अवधि से कारागार में है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

6. आवेदक शैलेंद्र सिंह, जो वाद अपराध संख्या 294/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 109(1), 324(5), 352, 351(3), थाना बाघराय,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिला प्रतापगढ़ में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर जमानत पर रिहा किया जाये, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ :-

- (i) आवेदक, विचारण (ट्रायल) के दौरान अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक, अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य हेतु तय दिनांकों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय द्वारा तय हर दिनांक पर उपस्थित रहेगा। इस शर्त को न मानने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अन्य कोई शर्त, जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त एवं उचित समझे, वह भी लगाई जा सकती है।

7. तदनुसार, समानता (पैरिटी) के आधार पर भी आवेदन स्वीकृत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ मौजूदा जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं तथा विचारण (ट्रायल) के गुण-दोष पर इसका कोई असर नहीं रहेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।